

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 420]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 अगस्त 2010—श्रावण 22, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2010

क्र. 4833-307-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 10 अगस्त, 2010 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २३ सन् २०१०.

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०१०.

[दिनांक १० अगस्त, २०१० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १३ अगस्त, २०१० को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०१० है.

(२) यह २९ अप्रैल, २०१० से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

अनुसूची
संशोधन.

का २. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) में, अनुसूची में, कालम (१) से (६) में, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनु- क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
“१.	जे. पी. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राघौगढ़, जिला गुना (मध्यप्रदेश)	जयप्रकाश सेवा संस्थान न्यास, नई दिल्ली	रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास	जे.पी. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर राघौगढ़, जिला गुना (मध्यप्रदेश).	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.”

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2010

क्र. 4834-307-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, 2010 (क्रमांक 23, सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 23 OF 2010

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN)
SANSHODHAN ADHINIYAM, 2010.

[Received the assent of the Governor on the 10th August, 2010; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 13th August, 2010.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhinyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows:—

Shor and
commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhinyam, 2010.

(2) It shall be deemed to have come into force from 29th April, 2010

Amendment of
Schedule.

2. In the Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhinyam, 2007 (No. 17 of 2007), in column (1) to (6), the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

Serial No. (1)	Name of Private University (2)	Name of Sponsoring body (3)	Mode of forming Sponsoring body (4)	Main campus (5)	Jurisdiction (6)
“1.	Jaypee University of Engineering and Technology, Raghogarh, District, Guna (M.P.).	Jayprakash Seva Sansthan Trust, New Delhi.	Registered Public Trust	Jaypee University of Engineering and Technology Campus Raghogarh, District Guna (M.P.).	Whole of Madhya Pradesh.”